

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मण्डार/2019-20/19

दिनांक:- 4-6-19

कार्यालय आदेश

मण्डल में कार्यरत नियमित वर्दीधारी कार्मिको को वर्ष 2019-20 के लिए ठण्डी वर्दी की सिलाई तथा एक-एक जोड़ी जूते-मौजे की राशि का नकद भुगतान की स्वीकृति निम्न प्रकार से की जाती है:-

1. ठण्डी वर्दी सिलाई

देय राशि

(दो पेन्ट एवं दो शर्ट हेतु) प्रति हैल्यर (330.50 X 2)

रु. 661/-

2. जूते एवं मौजे जोड़ी

(जूते जोड़ी लेदर काले एक) प्रति हैल्यर

रु. 1451/-

(मोजे जोड़ी एक) प्रति हैल्यर

रु. 66/-

कुल राशि रु. 1517/-

भुगतान की राशि संबंधित वर्दीधारी कार्मिक द्वारा उक्तानुसार बिल प्रस्तुत करने पर नियंत्रक अधिकारी के सत्यापन उपरान्त संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


सचिव
राजस्थान आवासन मंडल
जयपुर

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त..... राजस्थान आवासन मण्डल,
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल,
7. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. समस्त प्रकोष्ठ.....राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड
10. रक्षित पत्रावली।


सचिव
राजस्थान आवासन मंडल
जयपुर